भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 617
उत्तर देने की तारीखः 07.02.2024

पीएम-अजय के अंतर्गत हुई प्रगति

617. श्री पबित्र मार्गेरिटा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इस योजना के क्या परिणाम रहे हैं; और
(ख) इस योजना के अंतर्गत असम के कितने जिलों को शामिल किया गया है और असम से इस योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) एक एकीकृत स्कीम है जो इस विभाग की मौजूदा तीन स्कीमों नामत: अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीएसपी के लिए एससीए), बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) तथा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) के विलय के पश्चात तैयार की गई है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित है:

- कौशल विकास, आय सृजन स्कीमों तथा अन्य पहलों के माध्यम से रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करते हुए अनुसूचित जाति के समुदायों की गरीबी कम करना।
- अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में पर्याप्त अवसंरचना तथा आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करते हुए सामाजिक-आर्थिक विकासात्मक संकेतकों में सुधार करना।
- विशेष रूप से आकांक्षी जिलों/एससी बाहुल्य ब्लॉकों में, जहां भी अपेक्षित हो, अच्छे संस्थानों एवं आवासीय विद्यालयों में पर्याप्त आवासीय सुविधाएं प्रदान करते हुए विद्यालयों तथा उच्च शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के नामांकन को प्रोत्साहित करना तथा उनकी साक्षरता में वृद्धि करना।

गत पांच वर्षों के दौरान राज्य /संघ राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत हुई प्रगति तथा परिणामों का ब्यौरा इस प्रकार है:

- आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत कुल 29881 गांव कवर किए गए हैं तथा इनमें से 6087 गावों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया है।
- अनुदान सहायता घटक के अंतर्गत 3242.07 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है तथा इस सहायता से कुल 850611 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।
- छात्रावास घटक के अंतर्गत कुल 85 छात्रावास मंजूर किए गए हैं तथा इन छात्रावासों से 8659 छात्र लाभान्वित हुए हैं।

(ख): पीएम-अजय स्कीम में 3 घटक नामत: आदर्श ग्राम, अनुदान सहायता और छात्रावास शामिल हैं। इन घटकों के अंतर्गत गत 05 वर्षों के दौरान असम में कवर किए गए जिलों और लाभार्थियों की संख्या (राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार) इस प्रकार है:

<u>आदर्श ग्राम घटक:</u> यह घटक असम के 31 जिलों में कार्यान्वित किया गया है और इस घटक के अंतर्गत कुल 2493 लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

<u>अनुदान सहायता:</u> यह घटक जिला-वार कार्यान्वित नहीं किया जाता है। तथापि, इस राज्य में कुल 7754 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

<u>छात्रावास घटक:</u> यह घटक 13 जिलों में कार्यान्वित किया जाता है तथा इससे कुल 800 छात्र लाभान्वित हुए हैं।
